हुक्म या कार्यवाही मय इशिशियत्स वय	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/3/2017 आवेदक उपस्थित उसने वकील [illegible] कोलीजा उपस्थित होने हेतु समय चाहा। वास्ते बहस/कोलीजा पेश हो। 10-4-17 को पेश हो।	
10/4/17 पत्रावली पेश हुई। बार एसो. द्वारा कन्डोल किया जाने से कार्यवाही नहीं हो सकी पत्रावली वास्ते बहस/कोलीजा को दि. 26/4/17 को पेश हो।	
26/4/17 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। कोलीजा हेतु समय चाहते है पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 31/5/17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़	
31/5/2017 पत्रावली न्याय आपके हाजर आदेश केस स्वीकृता पर प्रस्तुत हुई जांच निर्णीत प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया व जिसके अनुसार कि प्रार्थी इन्द्राजी का जिसके पति ... गोदड़ ... रकबा 226 ... प्रार्थी के माता-पिता ने प्रार्थी को इन्द्राजी ... गोद के लिया गोद ... 226 ... गोद नामा ... खाता परिवर्तन इन्द्राजी ... प्रार्थी के नाम कर दिया ... गोद ... [illegible] रकबा 1 ... रकबा ... में प्रार्थी इन्द्राजी का	उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़

2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
1/2	गोबर्धन ग्रोवर ने भी रहते में विपक्षीगण के नाम लिख दिया। जबकि प्रार्थी 1/2 हिस्सा की प्रार्थी का नाम 1/2 हिस्से के अंकित नहीं करने से विपक्षीगण प्रार्थी को बेदखल कर रहे, विक्रय कर रहे विवाद खड़ा कर दिया। प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई भूमि से नहीं किया जा सकता। अतः विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जावे।
	विपक्षी अधिवक्ता जवाब पेश करके यहाँ प्रस्तुत किया जवाब में 1/2 हिस्से के इन्कार कर अपने पिता की हिस्से के मालिक बताया है। 1/2 हिस्सा का इकरार व इकरारनामा प्रार्थी को नहीं दिया। उसके नाम अर्जियों का बराबर हिस्सा इस हिस्से व इसके बदले दी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
30/6	प्रार्थी की ओर से मालूम है कि संवत 1380-1381 में इनकी है भूमि का नामान्तरण दर्ज किया व प्रकरण इलत गोद के तथ्यों पर आधारित व गोद रखने के बारे में मूल वाद में प्रस्तुत साक्ष्य से ही तय होगा प्रकरण में अधीन विवाद होने न देवे। इस को मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।
30/4	

उपखण्ड अधिकारी [illegible]

123/12

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
उक्त प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है इस वाद के निर्णय तक [illegible] खसरा नम्बरान 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 किता 15 रकबा 29 [illegible] की भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से 1/6 में विक्रय [illegible] नहीं करेंगे [illegible] नहीं करेंगे विक्रय [illegible] के [illegible] से पाबन्द किया जाता है पत्रावली [illegible] में [illegible] तारीख [illegible] पेश हो उपखण्ड अधिकारी [illegible]गढ़	